हिन्दुजा लिलैन्ड फाइनेन्स

ऋण अनुबन्ध पत्र

प्रार्थी का नाम– .....

दूरभाष/फोन/मोबाईल नम्बर– .....

हिन्दुजा लिलैन्ड फाइनेन्स लिमिटेड

कारपोरेट ऑफिस – नं॰ 27 ए, डवलप ईन्डस्ट्रीयल एस्टेट , गिन्डी, चैन्नई–600032

प्रमाणित पता– 1 सरदार पटेल रोड, गिन्डी, चैन्नई– 600032, हिन्दुजा ग्रुप

ऋण अनुबन्ध पत्र

यह ऋण अनुबन्ध पत्र जारी है आज तारीख ..... दिन ..... सन् 20.....

मध्य

मै॰ हिन्दुजा लिलैन्ड फाईनेन्स कम्पनी, एक कम्पनी जो कंपनी एक्ट (1956) के अन्तर्गत पंजीकृत है।जिसका प्रधान कार्यालय नं॰ 27 ए, डवलप्ड ईन्डस्ट्रीयल एस्टेट , गिन्डी, चैन्नई-600032 एवं राज्य कार्यालय ..... (यहाँ पर कंपनी देनदार स्वरूप में है।)यहाँ प्रथम विवरण तर्क एकत्रित करता है।अन्तर्गत उत्तराधिकारी रवं जिन्हें इस प्रपत्र में भाग के में दर्शाया या नियुक्त करा है।

एवं

श्रीमान/श्रीमति/मैसर्स ..... एक हिन्दुस्तानी निवासी/एक तन्हा फर्म मालिक/एक साझेदारी फर्म/ द कंपनी एक्ट 1956/निवासीगण/जिसका प्रमुख कार्यालय/जिसका पंजीकृत कार्यालय है .....

..... जिसेयहाँ पर प्रतिभू कहा गया है (यहाँ पर दर्शित अनुबन्ध पत्र में सम्मलित है, कानीनू वारीस, प्रतिनिधित्वकर्ता, कार्यपालक सम्मेलत है।द्वितीय भाग में)

एवं

श्रीमान/श्रीमति/मैसर्स ..... (मूलरूप से भारतीय) हिन्दुस्तान के देशवासी/एक तन्हा फर्म मालिक/एक निर्मित कंपनी जिसका निर्माण साझेदारी अधिनियम 1932/कंपनी एक्ट 1956/शहीश/निवास/जिसका मुख्य कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय का पता

..... (यहाँ पर इन्हें गारन्टर कहा गया है जिसमें दर्शित अनुबन्ध में सम्मलित है, कानूनी वारीस, प्रतिनिधित्वकर्ता, कार्यपालक एवं उनके सहयोगी सम्मिलिति है।) तृतीय भाग में--

<u>यहाँ पर</u>

1. यहाँ लेनदार (एक अथवा एक से अधिक) द्वारा प्रचलित/चिन्हित ..... (एक वस्तु) वाहन एवं लेनकर्ता इच्छुक है जैसे वस्तु/वाहन को खरीदने हेतु व उसका इस्तेमाल करने

हेतु लेनदार (एक अथवा अधिक) द्वारा देनदार से सम्पर्क साधा गया है एवं आवेदन पत्र ऋण हेतु एक मुश्त धनराशि हेतु जिसका अधिकतम ऋण रूपये ..... जिस/इस धनराशि उपयोग उक्त्त वाहन/प्रसेट को खरीदने हेतु इस्तेमाल होगा।जिसे अधिकतर प्रथम सैडयूल(सारणी) में व्याख्या करी गई है।

2. गारन्टीकर्ता इस संदर्ब मे कि ऋणदाता एवं ऋणदाताघन इच्छुक/तैयार है कि ऋणदाता तैयार/इच्छुक है एवं स्वयंइच्छानासार लेनदार(ऋणदाता) की गारन्टी इस बाबत प्रस्तुत करते है कि वह इस सम्बन्ध मे पत्र की समस्त शर्तो व नियमों से संतुष्ट व सहमत है कि ऋणदाता को जो धन ऋण रूप मे दिया जा रहा है।उसकी नियमानुसार व समयनुसार की वापिस का इकरारनामा जिसमें मूलधन, ब्याज, अतिरिक्त्त ब्याज, खर्चे, नुकशान, मरमत एवं बदलाव व अन्य कम्पंसेशन एवं अन्य खार्च/व्यय अतः ऋणदाता व गारन्टर द्वारा ऋण की समस्त बातों को भलि-भॉति समझते हुए देनदार इस रूप मे उपरोक्त्त शर्तो सहित लोन(ऋण) सुविधा निम्नलिखित शर्तों के अनुसार देने को तैयार अथवा सहमत है।

1.0. <u>परिभाषार्ये</u> :-

(क) पद पथम अनुसूची एवं द्वितीता अनुसूची का इस अनुबन्ध की प्रथम अनुसुची एवं द्वितीय अनुसूची से अभिप्राय है।

(ख) पद ऋण का इस अनुबन्ध एवं प्रथम अनुसूची के क्लाज(वाक्य) **2.1** में सन्दर्भित/निर्दिष्ट ऋण से अभिप्राय है।

(ग) पद वापसी (ऋण) का इस ऋण अनुबन्ध की शर्तो में ऋण का मूल धन एवं उस ब्याज, वचनबद्धता और/या अन्य प्रभार, प्रीमियम, शुल्क या अन्य भूगतान योग्य अभिप्राय है एवं इस अनुबन्ध के विशेष रूप से क्लाज **2.9** मे उपबन्धित क्रमिक परिशोधन (ऋण का) से अभिप्राय है।

(घ) पद "पूर्वशोधन" (पूर्व भुगतान) का ऋण प्रदाता द्वारा उस सम्बन्ध मे निर्दिष्ट की गई शर्तो के अनुसार एवं वापसी के समय प्रवर्तन में अपरिपक्त्त (समय पूर्व) वापसी से अभिप्राय है।

(ङ) पद आस्ति या कथित आस्ति का वाहन या मशीनरी जिसके लिये ऋण प्रदाता द्वारा ग्रहीताओं को ऋण प्रदान किया गया एवं जो प्रतिभूति की दृष्टि से ऋण प्रदाता के पक्ष में दृष्टिबन्धक किया जाता है।

(च) शब्दावली दर एवं ब्याज का इस अनुबन्ध के क्लाज **2.2** में विनिर्दिष्ट दर एवं ब्याज

से अभिप्राय है।

(छ) शब्दावली "किस्त" का ऋण की अवधि पूर्णता पर बाज सहित आवश्यक ऋण का क्रांमक परिशोधन हेतु द्वितीय अनुसूची मे निर्दिष्ट मालिक भुगतान की धनराशि से अभिप्राय है।

(ज) पद उत्तर तिथिय धनादेश या पी•डी•सी• का उधारग्रहीता द्वारा ऋण पुदाता के पक्ष में लिखित किश्त की राशि के चैक जिसमें प्रत्येक किश्त की यथोचित दिनॉक से मेल करने की दिनॉकों से अभिप्रयाय है।

(झ) पद "उधारा ग्रहीता" जहॉ कहीं ऐसे सन्दर्भ की आवस्यकता है का उधारग्रहीता से अभिप्राय एवं अर्थ होगा समझा जायेगा एवं पद "प्रतिभू" जहॉ कहीं ऐसे सन्दर्भ की आवश्यकता है का प्रतिभू(गण) से अभिप्राय एवं अर्थ होगा।

1.2 पद एवं शब्दावली जो इसमें विशेष रूप से परिभाषित नहीं है।जहॉ जनरल क्लाज एक्ट **1897** की शब्दावली ने उनकी व्यवस्था एवं अर्थ दी गई है।वही उनकी व्याख्या एवं अर्थ होगा।

1.3 सभी शब्दावली(पदावली)जिसे एक वचन में प्रयुक्त किया गया है।जब तक अन्यथा सन्दर्भ की आवश्यकता न हो बहुवचन सम्मिलित करेगी एवं एक लिगं का सन्दर्भ सभी लिगों को सम्मिलित करेगा।

2.0 ऋण, ब्याज आदि।

2.1 ऋण की राशि एवं अवधि।

क. ऋण प्रदाता ने जैसे कि प्रथ्म अनुसूची मे वर्णित है इसमें दी गई शर्तो पर अग्रस्ति क्रय करने के उददेश्य से उधाराग्रहीता को ऋण धनराशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है।

ख. इस अनुबन्ध के अन्तर्गत उपलब्ध किया गया ऋण जैसा प्रथ्म अनुसूची मे निर्दिष्ट है, अवधि के लिए होगा जो कि द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट से प्रारम्भ होगा।

2.2 ब्याज :–

कथित ऋण पर ब्यका की दर जैसा कि प्रथम अनुसूची मे उल्लेखित है, इस अनुबन्ध के निष्पादन में दिनॉक पर जैसा है को बकाया शेष यथा ऋण का बकाया एवं अशोधित ब्याज एवं परिव्यय और बकाया व्यय, माह के अन्त में मासिक अन्रण्ल के साथ संयुक्त की जायेगी।

2.3 ब्याज की संगणना :-

(क) प्रथम अनुसूची मे अनुबन्धित ब्याज की दर ऋण अवधि के दौरान स्थायी रहेगी जब तक अर्थ बाजार परिस्थितियों में बैंक आफ इंडिया या अन्य नियामक प्राधिकारी वर्ग या अकाल्पित या अपवादिक परिवर्तनों द्वारा अधिदेश न दी गई हो। ऐसी घटना प्रथम अनुसूची के उपबन्धों के बावजूद भी उधारग्रहीता ऐसे संशोधित दर पर ब्याज भुगतान करने के लिए सहमत है एवं इस अनुबन्ध का अर्थ समझा जायेगा माना ऐसा संशोधित दर अभिव्यक्त रूप से उल्लेखित है।

(ख) उधारग्रहीता ऐसी राशि प्रतिशोधित या भुगतान करेगा जो ऋणदाता द्वारा विधि मे परिवर्तन के कारण अथवा प्रवर्तन में आये किसी नये कानून के कारण केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऋण के ब्याज (एवं/या अन्य प्रभारों) पर आरोपति कोई कर के कारण केन्द्र या राज्य सरकार को भुगतान किया जाना चाहिये अथवा भुगतान होना चाहिए था। प्रतिशोधन या भुगतान उधारग्रहीता किया जायेगा। जब कभी ऋण प्रदाता द्वारा ऐसा करने के लिये कहा जायेगा।

2.4 भुगतान का ब्यौरा :-

उधारग्रहीता जैसा उसके द्वारा इच्छित किया जाता है। वह ऋण प्रदाता के ऋण का भुगतान की रीति निर्दिष्ट करेगा। हालांकि ऋण प्रदाता के ऋण के पास भुगतान रीति को अभिनिर्धातिण करने का एकमात्र विवेकाधिकार है जिसे उधारग्रहीता के भुगतान किया जाना समझा जायेगा, जैसा अनुबन्ध मे अनुबद्ध है\ आस्तियों के कय के मामले में, ऋण राशि ऋण प्रदाता के विकल्प पर, ऋण प्रदाता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से डीलर/निर्माता को भुगतान किया जायेगा एवं ऐसा भुगतान उधारग्रहीता को भुगतान होना समझा जायेगा। प्रतायक्त आस्तियों के कय के मामले में ऋण प्रदाता भुगतान की रीति/तरीका अभिनिर्धारित करेगा अर्थात आस्ति के स्वामी/विक्रेता को या डीलर या उधारग्रहीता को एवं ऐसा भुगतान उधारग्रहीता जैसा अनुबन्ध में अनुबद्ध किया गया है। उधारग्रहीता को भुगतान होना समझा जायेगा।

2.5 भुगतान रीति :-

सभी भुगतान ऋण प्रदाता द्वारा उधारग्रहीता को इस अनुबन्ध की शर्तो में सम्यक् रूप से रेखित एवं चिन्हित “A/C Payee only” या डिमाण्ड ड्राफ्ट या भारतीय बैंकिंग व्यवस्था के अन्तर्गत अनुज्ञात अन्य स्वीकृत अन्य तरीको से ऋंण प्रदाता के एक मात्र विवेक पर स्थान्तरन किया

जायेगा।सग्रग प्रभार एवं ऐसे अन्य आरोपित प्रभार, यदि कोई है, सभी ऐसे चेकों या स्थानतरणों के तरीको के सम्बन्ध मे, उधारग्रहीता को उधारग्रहीता या इसके बैक द्वारा स्थानतरण/संग्रह/अवमुक्त के लिए गये समय से असम्बद्ध, धारित करने होगें।

2.6 भुगतान शर्तें ः–

इसको सम्मिलित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी ऋण प्रदाता नोटिस द्वारा उधारग्रहीता का आगे का ऋण का भुगतान निलम्बित या निरस्त कर सकता ही यदि प्रदान किया ऋण पूर्णतया लिखा नहीं गया और ऋण प्रदाता द्वारा निलम्बित/निरस्त नहीं किया गया है।

2.7 खातों का विवरण एवं अवशेष की पुष्टि ः–

ऋण प्रदाता प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को जैसा कि 31 मर्च को है एक विवरण उधारग्रहीता को प्रेषित करेगा, बकाया राशि आरोपित ब्याज आदि उधादग्रहीता को स्पष्ट करेगा, जब तक उधाग्रहीता विवरण की अप्रर्याप्त सूचित नही करता अथवा डाक के प्रमाण से ऐसे विवरण प्रेषित करने के 45 दिनों के अन्दर कोई अनियमित्तता/कमी स्पष्ट नहीं करता तो यह धारणा की जायेगी कि उधारग्रहीता ने इसमे उल्लेखित वह राशि सही बकाया है एवं उसके विरूद्ध अशोधित है, से सहमत एवं स्वकृित किया है।

2.8 प्रकिया शुल्क ः–

उधारग्रहीता ऋण के अवोदन के समय पर एवं ऋण आवेदन के साथ प्रथम अनुसूची में उल्लेखित प्रकिया शुल्क ऋण प्रदाता को भुगतान करने के उत्तरदायी होगा।प्रकिया शुल्क की कथित राशि उधारग्रहीता को केवल उस दशा मे ही वापिस योग्य होगी जब उधारग्रहीता ऋण प्रदाता प्रदान करने के लिए उधारग्रहीता को प्रस्ताव पत्र के माध्य से इसके स्वीकृत सूचना से पूर्व ऋण लाभ न लेने का अपने इरादो की सूचना देता है।

2.9 ऋण की वापसी ः–

(क) ऋण की वापसी एवं उसका ब्याज उधारग्रहीता द्वारा किश्तों मे किया जायेगा।विस्तृत विवरण ऐसे जैसे यथोवित दिनॉक एवं किश्तों के सम्बन्ध मे राशि द्वितीय अनुसूची में वर्णित है।वापसी अनुसूची ऋण प्रदाता के अधिकार के बिना पूर्वग्रह होगी जो इस अनुसूची के अन्तर्गत अनुबद्ध मांग पर सम्पूर्ण ऋण राशि बकाया सहित भुगतान की जायेगी।आगे किश्त की संगणना/स्थिरीकरण ऋण प्रदाता किश्तों की राशि एवं उस पर ब्याज से पुनः संगणना के अधिकार के साथ बिना पूर्वग्रह की होगी।इस स्थिति को

शामिल करते हुये किसी अवस्था में यहा स्पष्ट होता है कि किश्तों की संगणना गलत तरीके से की गई है।द्वितीय अनुसूची के अनुसार भुगतान योग्य होगी।

(ख) उधारग्रहीता/प्रतिभू समयजो कि संविदा का सार है से सहमत है।

(ग) किश्तों का भुगतान आरम्भ हो एवं डीलर/निर्माता द्वारा उधारग्रहीता को आस्ति दिये जाने या नहीं से मसबद्ध जारी रहेगी एवां उधारग्रहीता के किसी भी समस्याओं का सामता के बावजूद या कोई भी विवाद, आपत्तियाँ, विरोध, शिकायतों या व्यथा जो सुपदर्गी /असुपदर्गी क सम्बन्ध में हो या एवयं आस्ति के सम्बन्ध मे हो।

(डी)-- कोई नोटिस, पुनः संवाद या सबर उधारग्रहीता को नही दी जाएगी जिसमें उसकी (ऋणदाता) जिम्मेदारी मासिक किस्त समय तारीख पर अदा करने की होगी।ऋण की मासिक किस्तें समयनुसार अदा करने की जिम्मेदारी स्वयं ऋणकर्ता की होगी।

(ग) कोई अन्य अधिकारौ एवं उपचारो जो कि ऋण प्रदाता के पास इस अनुबन्ध के अन्तर्गत है के बिना पूर्वाग्रह के एवं प्रचलित विधि के अन्तर्गत इस अनुबन्ध के अन्तर्गत उधारग्रहीता द्वारा किसी भुगतान के कोई विलम्ब की दशा मे ऋण प्रदाता प्रथम अनुसूची मे वर्णित अतिरिक्त ब्याज लेने के लिए अधिकृत होगा, योग्य ही इसके अधीन ऋण, ब्याज या अन्य प्रभार भुगतान योग्य हो।ऋण प्रदाता ऐसी गैर भुगतान राशि को विवाद के रूप में निरपित करेगा, जिसे अनुबन्ध के क्लाज **23** के अनुसार विवाचक के समक्ष निर्दिष्ट किया जा सकता है।उपरोक्त उल्लेखित अतिरिक्त प्रभार ऋण प्रदान करने के लिये आवश्यक शर्त के रूप वापसी अनुसूची की स्पष्ट अनुपालन के विशेषाधिकारों को प्रभावित नही करेगी।

(ङ) बकाया धनराशि या ब्याज संगणना के बारे में उठारे गये कोई विवाद उधारग्रहीता को कोई किश्त का भुगतान रोकने के योग्य नही करेगा।

2.10 किश्त भुगतान की रीति :-

(क) वापसी उत्तरतिथिय धनादेशअ (पी॰डी॰सी॰) के माध्य या उधाग्रहीता द्वारा नकद भेजकर या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा या भारतीय बैंकिग व्यवस्था के अन्तर्गत अनुज्ञात कोष स्थानतरण करने अन्य दूसरे स्वीकृत रीतियों द्वारा द्वितीय अनुसुची से निर्दिष्ट पर ऋण प्रदाता को किया जायेगा एवं आस्ति की सुपर्दगी से असबद्ध द्वितीय अनुसूची में अनुबद्ध वापसी के अनुसार प्रारम्भ होगा।उधारग्रहीता अभिस्वीकृत करता है कि वापसी अनुसूची के साथ

उसके द्वारा कठोर नियम बद्ध अनुपालन ऋण प्रदान करने के लिए एक आवश्यक शर्त है।

(ख) पी•डी•सी• एवं बीमा किश्त के चैकों के प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण प्रदाता द्वारा उधारग्रहीता को नोटिस अनुस्मारक या सूचना नही दी जायेगी।

(ग) यदि उधारग्रहीता द्वारा क्लाज 2.10(A) के अनुपालन में सुपर्द किये गये पी•डी•सी• मे से कोई या अधिक या सभी --

1. ऋण प्रदाता की अभिरक्षा के दौरान खौ/नष्ट हो जाता है/जतो है या

2. मृत्यु, दीवालिया, प्राधिकारी वी बर्खास्तगी या हस्ताक्षरकर्ता के अन्यथा या कोई उसके हस्ताक्षरकर्ताऔ में और या समायना या भुगतानकर्ता बैक के विलम्ब के कारण भुगतान/बगैर हो जाता है तो ऐसी घटना में उधार ग्रहीता ऋण प्रदाता ऐसे नुकसान, नष्ट या खोने पर (जैसा मामल हो) तुरन्त कथित चैक या उनमे से कोई जो 2.10(C)के उपरान्त कथित कारणों से बिना भुगतान योग्य हो गये है, ऋण प्रदाता को ऐसे नम्बर के चैको को जे कि उचित है इनके स्थान पर जो खो गये है, नष्ट हो गये हैं या बिना भुगतान योग्य है को वापसी के उचित बैक निष्ट व्यवस्था करके प्रतिस्थापित करेगा जो कि ऋण प्रदाता द्वारा स्वीकृत एवं मान्य हो।

ऋण प्रदाता **उधार ग्रहीता** **प्रतिभू**

(ग) यह उधार ग्रहीता द्वारा समति एवं समझा गया है कि चैकों का किसी कारण से अप्रस्तुती उधार ग्रहीता के ऋण वापसी के उत्तरदायित्व को प्रभावित नहीं करेगा।ऋण प्रदाता दोनो बिलम्ब, चूक अनुरोध मे लापरवाही क्षति या चैकों के नुकशान (जो उधार ग्रहीता द्वारा ऋण प्रदाता को उनकी शर्तो में पहले से दिय हैं) एवं कोई अन्य कारणों के लिए उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(ग) इस अनुबन्ध के अन्तर्गत एवं/या प्रचलित विधि के अन्तर्गत ऋण प्रदाता के पास किसी अन्य आधिकारों या उपचारों के पूर्वाग्रह के विना, उधार ग्रहीता प्रथम प्रस्तुति पर पी•डी•सी• के अनादरण के मामले में प्रथम अनुसूची में उल्लेखित एक फ्लैट प्रभार करने के लिए उत्तरदायित्व होगा।द्वितीय प्रस्तति पर अनादरण के मामले मे ऐसे चैकों के आनदरित होने के सम्बन्ध में आगे प्रभार जैसा प्रथम अनुसूची में उल्लेखित है आरोपित किया जायेगा।

उत्तर विधियधनोदश चैक के अनादरण होने पर प्रभारी की मात्रा (प्रथम एवं द्वितीय प्रस्तुति पर दोनो) प्रथम अनुसूची मे अनबिद्ध भी है।चैक के अनादरण होने पर प्रभार की आरोपण नेगोशयिबल इन्स्ट्रूमेन्ट अधिनियम 1881 समय में संशोधन के अन्तर्गत ऋण प्रदाता के अधिकारों के बिना पूर्वग्रह के है एवं अन्य दूसरे अधिकारों के पूवाग्राहरहित जो इस अनुबन्ध या विधि या साम्यता के अन्तर्ग ऋण प्रदाता के पास है।

(ग) इस अनुबन्ध के प्रथम अनुसूची में उल्लेखित प्रभार ऋण प्रदाता के एकमात्र विवेक पर परिवर्तन के अधीन है।

2.11 किश्तों परिवर्तन एवम् पुन अनुसूची करना

ऋण प्रदाता आधिकृत होगा, यदि ऋण प्रदाता परिस्थितिवश उचित समझता है ऐसी रीति में एवं उस सीमा तक परिर्वन या पुनः अनुसूचित करता है, जैसा ऋण प्रदाता अपने एकमात्र विवेक में निर्णय कर सकता है एवं उधार ग्रहीता द्वारा द्वितीय अनुसूची मे कुछ भी उल्लेखित होने के बावजूद कथित परिवर्तन एवं पुनः अनुसूची के अनुसार वापस किया जायेगा।ऋण प्रदाता उक्त को लिखित में उधार ग्रहीता को संमूचित करेगा।

2.12 उधार ग्रहीता एवं प्रतिभू का उत्तरदायित्व संयुक्त एवां विविध हैः-

प्रतिभु(गण) का उत्तरदायित्व संयुक्त है एवं उधार ग्रहीता के साथ सहवर्ती है।प्रतिभू(गण) उत्तरदायित्व ब्याज आदि के साथ ऋण वापिस करना है एवं इस अनुबन्ध/एवं अन्य दूसरा अनुबन्ध/अभिलेख जो उधार ग्रहीता इस ऋण/अन्य ऋण या ऋणों के सम्बन्ध मे ऋण प्रदाता के साथ निस्पादित किया जानाचाहिये था या किया जा सकता है कि शर्तो को

अवलोकन के पास दोनो या दोनो मे से किसी के विरूद्ध उधार ग्रहीता द्वारा ऋण प्रदाता को ऋण भुगतान योग्य अन्य पुनारों को वसूल करने की कार्यवही करने की एकमात्र विवेक है।

3.0 प्रतिभू।

3.1 ऋण प्रदाता के उधार ग्रहीता को इसमे उल्लेखित शर्तो के अधीन ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए सहमत होने के प्रतिफल में उधार ग्रहीता एतदवत कथित आस्ति पर अतिरक्त उपकरणों सहित आस्ति पर एकमात्र प्रथम प्रभार द्वारा ऋण प्रदाता के पास मे दृष्टिबन्धक रहता है/दृष्टिबन्धक करने के लिए सहमत है।

3.2 दृष्टिबन्धक अबुबन्ध के हस्ताक्षर करने पर या आस्तियों के सुर्पुदगी जो भी पहले हो के उपरान्त तुरन्त पश्चात किया जायेगा।

3.3 अदाकर्ता द्वारा अनुवंचित ऋण चार्ज अंतर्गत नियम **3.1** यहाँ पर अदाकर्ता द्वारा बंधन स्वरूप धनराशि का उचित बंधन–पत्र प्रदान करना है व नियमित तारीख पर भुगतान व सम्पूर्ण अदाकर्ता को दी है या दी जाएगी, उसमें समस्त ऋण हेतु नियामनुसार फीस एवं ब्याज व अन्य खर्चे जो होगें सम्मलित होगी या अपितु सम्मलित करें जायेगें एवं समस्त लिखित खर्चो ब्याज व अन्य मदों को जोडकर समस्त धनराशि ऋणदाता द्वारा लेनदार को ऋणदाता द्वारा दर्शायी व लिखित शर्तो के अंतर्गत ऋणदाता कों ऋणकर्ता से लेने का अधिकार होगा।

3.4 उधार ग्रहीता द्वारा इसमें उत्पन्न भार जारी रहेगा तब तक जब तक ऋण प्रदाता प्रतिभू अवमुक्त का प्रमाण जारी न करता एवं दीवालियापन जमानत के साथ व्यवस्था करने मानसिक विकलांगता या शारीरिक विकलांगता समापन (स्वैच्धिक या अन्यथा) या कोई विषय या अमलगेशन द्वारा पुर्ननिर्माण प्रबन्धन अधिग्रहण उधार ग्रहीता का समापन (जैसी स्थिति हो) मे प्रभावित बाधा या उधार ग्रहीता के दायित्वों की अवमुक्त नहीं करेगें।उधार ग्रहीताा एतद्वारा पुष्टि करता है कि उधार ग्रहीता मातृियो के सभी ब्यौरा से परिचित है।

<u>3.4 का</u> ः– यह कि ऋणदाता कंपनी द्वारा जारी ऋण हमेशा चालू व लागू रहेगा जब तक कि देनदार ऋणकर्ता द्वारा समाप्त होने संबंधी प्रपत जारी न करा जावें एवं इसका कोई भी प्रभाव इस आशय पर वही होगा कि ऋणकर्ता अपने जिम्मेदारी (ऋण हेतु) पूर्ण करने मे असमर्थ हो गया है।एवं ऋणदाता कंपनी को ऋण इस आधार पर वही माफ करा सकता है।कि अब ऋणकर्ता मानसिक अपंगता या शारीकि अपंगता (स्वयं या किसी परिस्थितिवंश दुर्घटना के कारण)एवं अन्य किसी स्वरूप या स्वभाव मे वो चाहों कंपनी का विल्य हो, पुननिर्णाण होने अधवा उपरौक्त देनदाता

कंपनी का प्रबन्धन समिति बदले परन्तु इसमें ऋणकर्ता स्थिति पर कोई भी प्रभाव न होगा व न ही ऋणदाता, कंपनी के पुनऋण एकपत्र के अधिकर पर कोई फर्क नही पडेगा।

3.5 का ः– यह कि ऋण द्वारा प्रस्तुत या ली गई वस्तु या गाडी एवं कोई भी वाहन जिसमें ऋणकर्ता का नाम किसी कारणवश अथवा भूलस्वरूप पप्रतों में आया है या पाया है तो ऐसी स्थिति में ऋणकर्ता की जिम्मेदारी होगी कि वह ऋणदाता को एक सप्ताह के अंतर्गत इस समस्त प्रपत्रों पर हुई होने या होने चहिए जो कि हम इस अनुबन्ध पत्र का जी एक हिस्सा है व माना जाना चाहिए व भविष्य में ऋणकर्ता पस सम्बन्ध मे तैयार बंधनपत्र पर किसी भी तरह या अवैध शून्य या प्रस्तावित होने का कोई दवाब लिखित रूप में मान्य कानून रूप में वैध व निजी भी परिस्थिति मे नही होगा।

3.6 का ः यह कि ऋणकर्ता ऋण पर ल्या गया वाहन/वस्तु का नियमानुसार निशचित समय के अन्दर सम्बंधित मान्य सरकारी विभाग में सम्पर्ण कागज पूर्ण कराकर पंजीकरण पत्र व इन्शायोरेन्स की कापी तुरन्त पूर्ण कराकर ऋणदाता कंपनी को उपलब्ध करायेगें।

3.7 का ः–यह कि ऋणकर्ता यहाँ स्पस्ट व अनुशरण करता है कि ऋणकर्ता ऋण सम्बंधित सम्पूर्ण नियमों व शर्तो का पूरा संज्ञान रखता है।

3.8 का ः–यह कि ऋणकर्ता ऋण की बाबत ऋण की धनराशि हेतु एक लिखित पप्रत जमानत के रूप में लोन की धनराशि व ब्याज हेतु ऋणदाता कंपनी में प्रस्तुत करता है।

3.9 का ः–यह कि ऋणदाता, आवश्यकतानुसार ऋणकर्ता ने अतिरिक्त सिक्योरिटी हेतु तृतीय पार्टी गारन्टी जैसा कि ऋणदाता संतुष्ट हो मांग सकता है/मांगेगा इस उपरोक्त तथ्य पर ऋणदाता कंपनी का पूर्ण एकाधिकार है/होगा एवं इस सन्दर्भ में ऋणकर्ता अतिरिक्त संरक्षण/सुरक्षा हेतु मुरूतयारगमा, अंडरटेकिंग पप्रत व जनरल पॉवर ऑफ अर्टानी लेगा जोकि ऋणदाता कंपनी उचित सही समझेगी।यह कि ऋणकर्ता, ऋण व ब्याज की मासिक किस्ते समयावधि तक समस्त प्रपत्रों का पूर्ण रूप से पाबंद रहेगा।व ऋण की मासिक समस्त किस्तें पुर्ण होने पर ही प्रमाणपत्र ऋणदाता से लेकर ऋणमुक्त होगा।

4.0– संदार्यों का विनियोग।

4.1 का ः– यह कि ऋणकर्ता को यह पूर्ण अधिकार होगा कि जो भी मासिक राशि या कुलधनराशि ऋण अनुबन्ध पत्र के अंर्ग्गत ऋणदाता द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है तो ऋणदाता, ऋणकर्ता से जो सही है/हो निम्नलिखित आशय मांग सकता है।

1. इन्सोरोन्स सालाना प्रीमियम की कापी
2. खर्च, ब्याज व अन्य धन देय जो स्पष्ट व वास्तविक है/हो
3. ब्याज लोने हेतु खर्चे पर एवं अन्य आमद धन पर
4. सविधा शुल्क
5. ब्याज एवं अतिरिक्त ब्याज अगर कोई हो जो कि ऋण अनुबन्ध पत्र में वर्णित हो
6. मासिक किस्तों का भुगतान मय मूल धनराशि ब्याज सहित जैसा कि ऋण अनुबन्ध पत्र में लिखित है/वर्णित हो।
7. खर्च शुरूआती न्यायिक प्रकिया के सम्बन्ध में

5.0 का ः- ऋण प्राप्तकर्ता का वाहन/वस्तु मे प्रस्तुत राशि का विवरण

यह कि लोन प्राप्त करने से पहले लोन प्राप्तकर्ता को वाहन/वस्तु में अपने हिस्सें की धनराशि डीलर/उत्पादनकर्ता के यहाँ जमा कराने का पप्रत लोनकर्ता कंपनी को प्रस्तुत करना है/होगा।

6.0 का ः- ऋण जारी करने संबंधी शर्तो/नियम

6.1 का ः- यह कि ऋण की धनराशि लोन अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत नियत शर्तो/नियम के आधार पर मिलेगी।

अ- यह कि ऋण प्राप्तकर्ता ने उचित गारन्टी, सुरक्षा व वादा अनुबन्ध पत्र व समस्त जरूरी कागजात ऋणदाता कंपनी के संतोष के अनुसार पत्रांक **3** (उपरोक्त लिखित) जोकि ऋणदाता कंपनी के पक्ष व नियमानुसार हों।

ब- ऋण प्राप्तकर्ता द्वारा किसी तरह का ऋणदोष पुर्या में घटित न हों।

स- यह कि कोई अचानक स्थिति या कारण अथवा परिस्थिति होने पर ऋणकर्ता कंपनी उपरोक्त अनुबन्ध पत्र को जारी करने में असमर्थ हो जावे।

7.0 ऋणी का प्रतिनिधित्व (प्रतिनिधान)ः-

यह कि ऋणी प्रतिनिधान करता है।

7.1ः- यह कि ऋणी स्पष्ट रूप से कानून के अनुसार इस ऋण अनुबंध पत्र हेतु पूर्णतः स्पष्ट (वैध) है।यह कि ऋणी किसी भी रूप या कार्य प्रणाली द्वारा कानून आदेश न्याय प्रकिया डिक्री व्यादेश अथवा

आग्रह द्वारा यह ऋण अनुबन्ध पत्र में अनुबंधित होने में किसी भी रूप में अक्षम या अपराधी नही है।यह ऋण अनुबन्ध पत्र लागू होने पर ऋण अनुबन्ध पत्र की समस्त शर्तो का पालन व आदर करेगा व समस्त शर्त व नियम ऋणी पर पुर्णतः कानून लागू रहेगी।यदि ऋणी (एक कंपनी अथाव संस्था है) तो फिर यह संस्था/कंपनी पूर्णतः भारतीय कानून व नियम का पालनुसार है।अगर संस्था/कंपनी को सम्पूर्ण अधिकार है कि वह ऋण अनुबन्ध पत्र मे एक ऋणी के रूप मे दर्शीत करी जा सके।

7.2ः– कोई भी अरचन व व्यवधान किसी भी तरह या स्थिति मे इस वाहन / वस्तु ऋण अनुबन्ध पत्र में बाधक न है।

7.3ः– ऋणी ने प्राप्त कर ली है।सभी जरूरी कानूनी स्थिति व अपेक्षा ताकि ऋणी इस ऋण अनुबन्ध पत्र पर हेतु समस्त स्वीकृती, लाईसेन्स एवं निस्तारण हासिल करी है ताकि ऋणी को किसी अन्य पत्र अथवा स्थिति में कोई क्लेम, नोटिस या वसूली का आदेश न मिला है।

7.4ः– यह कि ऋणी इस बात को सुनिश्चित करे कि ऋण अनुबन्ध पत्र के समयकाल तक वैध लाई सेन्स धारावाही ऋण अनुबंधित वाहन को चलाने/चलाएगा।इस माध्य में ऋणी वस्तु एक वाहन हो यह अनिवार्यता सलंग्न है।

7.5ः–इस अनुबन्ध पत्र के समय व पूर्ण समयकाल में ऋणी के विरूद्ध कोई भी क्लेम या आदेश पारित न होना चाहिए।किसी भी तरह का मुकदमा (सिविल/क्रमिनल आदि) किसी भी न्यायालय में दायर हो या विचाराधीन भी नही होना चाहिए।किसी भी रूप में ऋणी, ऋण अनुबन्ध पत्र का पालक बनन में बाधक नही होना चाहिए।

8.0 ः– ऋणी द्वारा दी जाने वाली शपथ पत्र व स्पष्टिकरण –

यह कि ऋणी द्वारा ः–

1. यह कि लिया गया सम्पूर्ण ऋण उसी वस्तु/वाहन हेतु प्रयोग होना चाहिए।जिसे प्रथम अनुबन्ध मे बताया गया हो।
2. यह कि ऋणी को तुरन्त एवं परिस्थिति अनुसार स्पष्ट व्याख्या देनी चाहिए।जिस धारण से ऋण अनुबन्ध पत्र को पूर्ण करने मे देरी अथवा विलम्ब हो सकता है।
3. यह कि ऋणी को ऋणदाता द्वारा जारी सभी नियम व कानून व आदि की सम्पुर्ण जानकारी है।वह ऋणी सभी ऋण अन्य मदों सहित/ वस्तु/वाहन के सम्बन्ध मे जमा करायेगा।यह कि

ऋणी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।वस्तु/वाहन की चलाने, रख–रखाव व ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार धनराशि जमा करने का सारा उत्तरदायित्व ऋणी का ही होगा।

4. यह कि वस्तु/वाहन का नियमानुसार इन्सोरोन्स सम्बंधित सारे घाटे, नफा–नुकशान, आगजनी, लुट एवं बाढ और अन्य खतरो से बचाव की समस्त जिम्मेदारी ऋणी की ही होगी एवं ऋण अनुबन्ध पत्र ऋणदाता के ऋण की समस्त जिम्मेदारी इन्सोरेन्स पॉलिसी के अनुसार उसका लाभानित ऋणदाता कंपनी ही होगी।
5. यह कि किसी हानि या नुकसान की स्थिति मे वस्तु/वाहन की तुरन्त जानकारी ऋणी को इन्सोरेन्स कंपनी को देनी होगी।क्योकि इस देवीय आपदा, भूकम्प, भुचाल, बाढ व तुफान सम्बंधित किसी भी नुकसान की जानकारी इन्सोरेन्स कंपनी के साथ–साथ ऋणदाता को भी देनी होगी।
6. यह कि ऋणी हर वो कदम उठायेगा जिससे की जरूरी समस्त दस्तावेज, आवेदन, मंजूरी, लाई सेन्स व सम्बंधित विभाग से अनुमति जोकि अनुबन्ध पत्र हेतु आवश्यक हो।ऋणी उन्हे स्वयं अपने खर्चे पर एकत्रित व प्रस्तुत करेगा।यही समस्त अनुबन्ध पत्र के कागजात व अनुबन्ध पत्र में ऋणकर्ता का नाम सम्मलित कराने हेतु ऋणी का ही दायित्व होगा।
7. यह कि ऋणी ऋण अनुबन्ध पत्र ही समयावधि तक न तो वस्तु/वाहन को बेचेगा, न किराये पर देगा, न किसी दूसरे के नाम में स्थानानरित करेगा एवं किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वस्तु/वाहन का स्थानान्तरण अपराधिक, अविश्वास के अन्तर्गत आयेगा एवं धौखा देने की दृष्टि से किया गया कुकृत्य ऋणदाता द्वारा ऋणी के विरूद्ध एफ.आई.आर. या अपराधिक वाद दर्ज कराया जायेगा।
8. यह कि ऋणी वस्तु/वाहन को सही या उचित व्यवस्था मे रखेगा व समय–समय पर जरूरी मरम्मत व अन्य महत्वपूर्ण कार्य जोकि वस्तु/वाहन को सही नियमित रखने हेतु जरूरी हो।ऋण पूरा होने तक समय–समय पर कराता रहेगा।
9. यह कि ऋणी जिस बैंक खाते के चैक ऋणदाता को उपल्लध करायेगा।उसमें ऋण की सम्पूर्ण धनराशि बैक खाते मे रखने की पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होनी चाहिए।अतः ऋण के किस्तदार, लोन अदा करने की जिम्मेदारी ऋणी को होगी।
10. यह कि ऋणी की जिम्मेदारी होगी कि वह समय वह भाग के अनुसार आयकर व अन्य कर जोकि भारतसरकार को समय–समय पर दिये जाने उन्हे समय अनुसार दिय जाने की जिम्मेदारी ऋणी की होगी तथा कोई भी राजकीय अथवा स्थानीय प्रशासन के समस्त टेक्स एवं जारी

अधिसूचना सम्बंधित सारी जिम्मेदारी ऋणी की होगी।तथा ऋणी ही समस्त टैक्स हेतु जिम्मेदार होगा।

11. यह कि उस स्थिति में जबकि वस्तु/वाहन एक नया वाहन हो तो उस वाहन का रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के अनुसार हो, एवं उसपे ऋणदाता का नाम भी दर्ज होवे, व ऋणी इस बात को सूचित करें कि इस वस्तु/वाहन में ऋणदाता का ऋण भी सम्मलित है।

12. यह कि ऋणी, ऋणदाता को समस्त प्रपत्रों की कापी व रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इस आशय से देगा ताकि ऋणदाता उनमें अपना नाम स्पष्ट रूप से देखकर उचित कार्यवाही कर सकें।डिलीवरी हेतु भी समस्त जिम्मेदारी ऋणी की ही होगी।

13. यह कि ऋणी कभी भी बिना ऋणदाता की अनुमति के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र हेतु आवेदन न करेगा जिसको ऋणी ने ऋण द्वारा खरीदारी करी है व डिलीवरी/प्राप्ति करी है।

14. यह कि ऋणी, ऋणदाता की लिखित में दुर्घटना, चोरी आदि की जानकारी देगा व कोई भी हक प्रस्तुत करने के पहले ऋणदाता कंपनी को सूचित करेगा।रजिस्ट्रेशन किताब खो जाने या नष्ट होने स्थिति में ऋणदाता को बताई जाएगी व ऋणी व सभी कृत्य करेगा जिससे ऋणी व ऋणदाता दोनो का ही एक जैसा एकरूप विश्वास व फायदा सफल रहे अथवा हों।

15. यह कि ऋणी समस्त खर्चे वस्तु/वाहन सम्बीधत वहन करेगा एवं समस्त राजकीय व नगर पालिका टेक्स आदि का अनुपालन ऋणी द्वारा ही कहा जाएगा व ऋणदाता किसी भी रूप में (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) इसमे किसी भीतरह से जिम्मेदार न होगा।ऋणदाता द्वारा मांगे जाने पर ऋण अवधि के अंतर्गत ऋणदाता जो भी पप्रत मागेगा उन्हें उपलब्ध करेगा व जमा करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी।

16. यह कि ऋणी किसी भी दशा मे न तो वस्तु/वाहन को प्रतिबंध होने देगा व न ही वस्तु/वाहन को विशुद्ध रूप से जानकारी में अहित हेतु कोई कथन या कृत्य न करेगा व ऋणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में स्थांरित नही करेगा।ऐसी स्थिथि मे ऋंणकर्ता फौजदारी अंतर्गत आपराधिक अविश्वास का वाद दर्ज करायेगा व एक केश धौखाधडी का ऋणदाता दर्ज करा सकता है।व एफ.आई.आर. व आपराधिक रिपोर्ट भी ऋणी के विरूद्ध दर्ज कराई जाएगी।

17. यह कि ऋणी वह सब कार्य करेगा जिससे ऋण अनुबन्ध पत्र की समस्त नियम व वायदे पूर्ण होगें व यह भी सनिश्चित होगा कि ऋणदाता का ऋण अधिकार व ऋण की एकरूपता को ऋणी को कोई खतरा नही है व ऐसा करते हुए ऋणी अपने खर्चे पर समत दस्तावेज बनायेगा व मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा।

18. यह कि ऋणी इस बात को तैयार है कि वह वस्तु/वाहन को चलाने व रख-रखाव हेतु तथा समस्त दस्तावेजों के लिए समस्त खर्चे (इसमे तृतीय पार्टी की दुर्घटना व हानि और अन्य कोई स्थिति में) वहन करेगा एवं समस्त भुगतान जिसमे न्यायिक खर्चे, फीस व वस्तु/वाहन की कीमत का ऋण ब्याज सहित समयनुसार व अनुबन्ध पत्र के अनुसार अंतर्गत नगोसीयेबल इन्सट्रूमेन्ट एक्ट एवं क्रीमिनल प्रोसिजर कोर्ट व जिस किसी अन्य फोरम पर स्थिति अनुसार ऋणदाता, ऋणी को ले जायेगा, ऋणी वहाँ जाने हेतु बाध्य होगा।

19. यह कि ऋणी यह वस्तु स्थिति स्पष्ट करेगा कि वह ऋणदाता को समय-समय पर वस्तु/वाहन सम्बंधित जानकारी देता रहेगा।

20. यह कि ऋणी कोई रूकावट या मसल जान बूझकर वस्तु/वाहन हेतु प्रस्तुत नही करेगा।

9.0 :- प्रतिनिधित्व/प्रसंविदा (शर्त)/ग्रहण (उधम) द्वारा /प्रत्याभूतिदाता

9.1 :- यह कि प्रत्याभूतिदाता को स्पस्ट न्यायिक व आर्थिक संनदृष्टता प्राप्त है।जिसमे कि वो यह अनुबन्ध पत्र बतौर प्रत्याभूतिदाता को सके।यह कि प्रत्याभूतिदाता किसी रूप मे किसी भी कानून, आदेश, डिक्री प्रस्तावए या सहयोग के कारण से या किसी अन्य विधिक कारण से इस अनुबन्ध पत्र में प्रत्याभूतिदाता बनन मे बाधक नही होना चाहिए।यह कि अनुबन्ध पत्र में प्रत्याभूतिदाता पर कानूनी रूप से प्रभावित है व ऋणी को दोष की दशा में पूर्णतः न्यायिक रूप से वैद्य है। प्रत्याभूतिदाता (अगर मामला कम्पनी सम्बंधित हो)पूर्ण रूप से भारतीय कानून के अनुसार पूर्णतः वेद्य है व अनुबन्ध पत्र में एक पक्ष के रूप मे प्रस्तुत हो।

प्रत्याभूतिदाता द्वारा अग्रम गारंटी

9.2 :-

अ- यह कि ण का भुगतान व ऋणी पर ऋणदाता की जिम्मेदारी ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार है जोकि द्वितीय चरण में ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार हो।

ब- यह कि इस स्थिति में जब ऋण का नियमानुसार भुगतान रूक जाता है तो स्पष्ट रूप से प्रत्याभूतिदाता की जिम्मेदारी उपरोक्त अनुबन्ध पत्र की व उसके ऋण को जिसमे उस समय जो भी धनराशि व ब्याज शेष हो, वह ऋणी के साथ-साथ प्रत्याभूतिदाता की भी हो जाती है।व उसमें अन्य ब्याज व अन्य खर्चे जो ऋणदाता द्वारा खर्च किये जातो हो इस ऋण अनुबन्ध पत्र की धनराशि ब्याज मे सम्मिलित हो जाते है।

स– यह कि समस्त नियम व शर्तें अन्तर्गत इस ऋण अनुबन्ध पत्र मे ऋणी द्वारा तय की गई रूपरेखा ही होती है।

9.3 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता स्पष्ट रूप से सहमत होता है कि पुरूष/महिला को किसी अन्य साक्ष्य की जरूरत नही है व ऋणदाता द्वाता जारी लिखित मांग–पत्र जो कि किसी भी रूप में बनाई गई हो, व प्रत्याभूतिदाता लिखित पते पर ऋणी द्वारा ऋण अदा न करने पर जारी किया जाता है।एक प्रमाण पत्र लिखित रूप में ऋणदाता द्वारा या उसके प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होकर मुल धनराशि बताते हुए प्रत्याभूतिदाता के दिये गये पते पर समस्त सक्ष्यों के साथ प्रत्याभूतिदाता भिजवायी जाती है।

9.4 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता पहली ही मांग पर बिना किसी विचार बाधा या विरोध के ऋणदाता को सम्पूर्ण धनराशि अदा करनी चाहिए।यह कि प्रत्याभूतिदाता को ऋणदाता से ऋण सम्बन्धी जानकारी का कोई प्रावधान नहीं है।व प्रत्याभूतिदाता मांगे जाने पर ऋणी के अवरूध के बाद धनराशि देने का प्रावधान प्रस्तुत है।

9.5 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता स्पष्टता स्वीकारता है कि ऋण अनुबन्ध पत्र की अवधि पूर्ण होने का प्रत्याभूतिदाता की ऋण हेतु जिम्मेदारी जारी रहेगी।यह कि प्रत्याभूतिदाता की जिम्मेदारी ऋणी के साथ भी है व सकल रूप मे भी प्रत्याभूतिदाता की जिम्मेदारी आहूत होती है।

9.6 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता यहां पर इच्छानुसार तैयार है कि उसकी जिम्मेदारी ऋणी के साथ–साथ ऋण अनुबन्ध पत्र मे पूर्ण रूप से है।प्रत्याभूतिदाता समस्त धनराशि हेतु प्राथमिक ऋणी माना जाता है।

9.7 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता इच्छानुसार तैयार है कि वह ऋणी के साथ–साथ ऋण अनुबन्ध पत्र में ऋण की जिम्मेदारी किसी भी परिस्थिति मे बिना किसी सीमा के प्रस्तुत कर रहा है जोकि निम्न प्रकार है ः–

1. ऋणी व ऋणदाता द्वारा ऋण अनुबन्ध पत्र मे किसी धारा या नियम को जोडे जाने में जिससे प्रत्याभूतिदाता की इजाजत न ली गई हो।
2. ऐसाकोई अनुबन्ध पत्र जो ऋणी व ऋणदाता के मध्य मे बनाया गया हो, जिसके द्वारा ऋणी को छोड दिया जाये।
3. किसी ऐसे कार्य या प्रस्ताव को निकाल कर ऋणदाता द्वारा कानूनी प्रकिया जिसके द्वारा ऋणी को छोड दिया जाये।
4. ऋणदाता द्वारा एक समझौता करा जाये, या यह वादा किया जाये कि प्रत्याभूतिदाता को नोटिस भेजा जाये या नही/और।

5. ऋणदाता द्वारा प्रत्याभूतिदाता की जिम्मेदारी समाप्त हो जाए।

9.8 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता यह माने कि प्रत्याभूतिदाता का दायित्व लिखित नौटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से मिलने पर एकदम शुरू हो जाता।बिना इस बात को गौर किये कि ऋणी को इस बाबत बुलाया गया है।अथवा नही या क्या ऋणी के खिलाफ कार्यवाही की गई हो या नहीं।

9.9 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है कि ऋणदाता को समस्त हानि, नुकसान, कीमत, खर्च व समस्त अन्य खर्चो से अवमुक्त रखेगा।इस स्थिति जिसमे कि ऋणी, ऋण अनुबन्ध पत्र की स्थिति के सामान्य रखने का कामयाब हो जाता है।

9.10 ः–यह कि प्रत्याभूतिदाता यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता है व सहमति देता हो कि ऋणदाता प्रत्याभूतिदाता को ऋण अनुबन्ध पत्र के तहत कार्यवाही हेतु प्रत्याभूतिदाता कानूनी प्रक्रिया के अन्तर्गत लाता हो।

9.11 ः–यह कि प्रत्याभूतिदाता की गारंटी भारत के इस संदर्भ मे कानून के अनुसार व्याख्यान करी जानी चाहिए।

9.12 ः– यह कि प्रत्याभूतिदाता इस बात मे सहमति देता है कि ऋणदाता प्रत्याभूतिदाता की समस्त जानकारी उसकी गारंटी सहित किसी भी ऋण संस्था या किसी भी अन्य व्यक्ति को या जिसे ऋणदाता उचित समझे जानकारी दे सकता है।वह प्रत्याभूतिदाता इस उपरोक्त बात की सहमति का विरोध न करने की सहमति हर सुरत मे प्रदान करता है।

9.13 ः– प्रत्याभूतिदाता इस बाबत तैयार है कि मध्यस्थता–क्लोज जो ऋण अनुबन्ध पत्र के अन्तर्गत प्रत्याभूतिदाता या प्रत्याभूतिदाताओं को ऋण अनुबन्ध पत्र से बाध्य करती है।जिसके अन्तर्गत आदेश में प्रत्याभूतिदाता भी आतो है।

9.14 ः– प्रत्याभूतिदाता की गारटी उसी दिन से प्रभावशाली हो जाती है कि जब ऋणी सम्पूर्ण कर्ज ले लेता है एवं प्रत्याभूतिदाता ऋणी द्वारा सम्पूर्ण ऋण देने के पश्चात ही ऋण अनुवन्ध पत्र की जिम्मेदारी से निकाल पाता है।

9.15 ः– यह कि प्रत्याभूति, प्रत्याभूतिदाता की स्वयं हेतु नहीं है वह ऋणी की सिक्योरटी हेतु प्रस्तुत करी गई है।

10.0 ः–वस्तु/वाहन का मूल्य परिवर्तन के सम्बन्ध मे ः—

10.1 ः–यह कि वस्तु/वाहन की कीमत जोकि एक नया वाहन है/निर्माता कंपनी द्वारा बढा दी जाती है व ऋणदाता व ऋणी के मध्य उसके पहले सें ऋण अनुबन्ध पत्र तैयार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में बढी हई कीमत का वहन ऋणी द्वारा करा जाता है/करा जाएगा/यह कि ऋणी की नकारात्मक स्थिति को पूर्ण अधिकार होगा कि ऋण की धनराशि डीलर/निर्माता कंपनी से वापिस ले लेगी(ले सकती है)ऋणदाता कंपनी ब्याज सहित (जितने दिन ऋण की धनराशि डीलर/निर्माता के पास रही) ऋणी द्वारा जमा बुकिंग धनराशि से लेने का पूर्ण अधिकार रहेगा/होगा।यह ऋण अनुबन्ध पत्र से मुख्य स्पष्ट धारा में सम्मलित रहेगा/होगा।

11.0 ः–सुपुर्द करना/प्रदान करना

11.1 ः–यह कि वस्तु/वाहन की सुपुर्दगी की सम्पुर्ण जिम्मेदारी ऋणी की होगी।ऋणी को ही डीलर/निर्मा ता कंपनी से सुपुर्दगी लेना सुनिश्चित करना होगा। वस्तु/वाहन की स्थिति, एकरूपता व क्वालिटी की समस्त जिम्मेदारी ऋणी की होगी व सुपुर्दगी लेते ही ऋणदाता को सूचना की समस्त जिम्मेदारी ऋणी की होगी।

11.2 ः–यह कि ऋणी द्वारा यह माना व समझ लिया जाता है कि ऋणदाता की कोई जिम्मेदारी डीलर/निर्माता कंपनी द्वारा देरी या अन्य अस्पष्टता की स्थिति में नही होगी व ऋणी किसी भी रूप में ऋणदाता देरी हेतु जिम्मेदार न ठहरायाएगा व इस बाबत ऋण अनुबन्ध पत्र द्वारा जारी नियत तिथि पर किस्त अन्य धनराशि हेतु ऋणी समय पर देने हेतु पुर्ण रूप में जिम्मेदारी रहेगा।

उधारकर्ता **ऋणग्रहीता** **प्रत्याभूतिदाता**

12.2 ः- इस्तेमाल

यह कि ऋणी प्रतिवद्ध है कि वह वस्तु/वाहन को अपने आप किसी दूसरे के द्वारा या अपने नौकर या प्रतिनिधि के साथ वस्तु/वाहन का बीमा पॉलिसी द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत ही इस्तेमाल करेगा तथा वस्तु/वाहन को सामान ढोने के लिर या ऐसे किसी कार्य के लिए जो राज्य या केन्द्र के कानून के अन्दर अवैध हो इस्तेमाल नही करेगा।वन विभाग/आबकारी/सीमा शुल्क विभाग व कर विभाग द्वारा प्रतिबन्धित गांझा रेलवे की सम्पत्ति का आदान-प्रदान रेलवे अधिनियम के विपरीत नही करेगे तक सोना विपत्रक तथा अन्य किसी गैर कानूनी कार्य में संलिप्त होने पर ऋणदाता का कोई जिम्मेदार न होगअी व इस अवैध कार्य द्वारा हुये हर्जाने व हानि की जिम्मेदारी ऋणदाता की नही होगी।तब ऋणी, ऋण अनुबन्ध पत्र द्वारा अपने आपको अनुबंधित करता है कि वह वस्तु/वाहन का इस्तमाल अनुबन्ध पत्र के अनुसार स्वयं वहन एवं अपने खर्चे पर इस्तेमाल करेगा।

13.0 ः- बीमा एवं रख-रखाव ।

13.1ः-ऋणदाता द्वारा ऋणी को दी गई धनराशि को सुरक्षित करने हेतु ऋणी द्वारा तुरन्त ऋण अनुबन्ध पत्र हस्ताक्षरित करने के बाद ऋणी को अपने खर्चे से करना होगा व किसी भी हानि, नुकसान द्वारा दुर्घ टना या आग लगने के कारण ऋणी को बीमा पॉलिसी मे समस्त हालात हेतु बीमा करवाना होगा।बीमा पॉलिसी देगें, घरेलू हिसा, बाढ व अन्य दैवीय आपदाओ की जिम्मेदारी बीमा कम्पनी (तृतीय पार्टी जिम्मेदार होगी) एवं बीमा व ऋणी इस बात में सुनिश्चित करेगा कि बीमा की किस्त एकदम सही समय पर जमा करता रहेगा जब तक ऋण अनुबन्ध पत्र की समय सीमा रहेगी।किसी स्थिति में ऋणी/ऋणदाता को बीमा के प्रति ऋणदाता को स्वयं के खर्चे पर उपलब्ध करेगा।

13.2 ः-यह कि ऋणी वस्तु/वाहन को ऋण अनुबन्ध पत्र में दर्शाये गये नियमानुसार ही एवं बीमा कम्पनी के दिशा निर्देशानुसार ही इस्तेमाल करे, अन्य बीमा शून्य मान जायेगा।

13.3 ः-यह कि ऋणदाता का पूर्ण अधिकार रहेगा कि वह ऋणी के आधारा पर बीमा की किस्तें चैक/नगद भुगतान या अन्य किसी माध्य से जिससे ऋणी संतुष्ट ही बीमा धनराशि अदा करेगा।इस बीमा द्वारा ऋणंदाता की ऋण हेतु दी गई धनराशि पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नही होगा व यह ऋणी आवश्यक जिम्मेदारी होगी कि वह समय पर बीमा की राशि का भुगतान करेगा।जिससे की वस्तु/वाहन का बीमा ऋणी व ऋणदाता दोनो पक्षो के मध्य सार्थक होगा।

13.4 ः–यह कि बीमा मांग पर पहला अधिकार ऋणदाता का होगा।यह कि ऋणी ऋणदाता को इस अधिकार देगा कि वह बीमे से अपनी धनराशि को सुरक्षित कर सके एवं ऋण इन सभी बातो का व आदेशो को मानेगा जिससे बीमा पॉलिसी सम्बंधित सभी जानकारी निहित होगी।

13.5 ः–यह कि ऋणी अपने खर्चे पर बिना किसी देरी के वस्तु/वाहन की मरम्मत आदि करायेगा व दुर्घटना की दशा में वस्तु/वाहन की मरम्मत ऋणी स्वयं ही करायेगा व उनको बिल ऋणदाता को उपलब्ध करायेगा और यदि ऋणदाता का कोई बकाया ऋणी पर नही है तो वह बीमा कम्पनी से मिले सारे फायदे ऋणी को प्रस्तुत करेगा।

14.0 ः- घटनाओ का दोष— (व्यक्ति कम)

यह कि निम्नलिखित घटनाओ के दोष प्रेरीत रहेगी।

14.1 ः–यह कि ऋणी ऋण को अदा करने में या ऋण के अन्य खर्च व फीस अदा करने में अक्षम रहते हैं अथाव ऋण की एक या एक से अधिक किस्ते या कुछ धनराशि जिसका भुगतान ऋणी द्वारा नही होता है तो जिससे नियत तिथि निकल जाती है।

14.4 ः–यह कि ऋणी (या तो एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति जैसे भी अनुबन्ध पत्र मे दायित्व हो) की मृत्यु हो जाती है एवं उस मृत्यु के आधार पर सम्बंधित माफिक क्षेत्राधिकार मे ऋण अदा न होने के वास्ते सम्बंधित अधिकारी से उसकी वस्तु/वाहन संदर्भित करने से।

14.3 ः–यह कि अगर ऋणी (या साझेदारी फर्म या कापोरेशन है) इस सम्बन्ध मे समस्त न्यायिक प्रक्रिया तृतीय पक्ष द्वारा ऋणी के विरूद्ध फर्म को बन्द करने, खत्म करने, फर्म का नाम या व्यवस्था बदलने, की स्थिति में क्षेत्राधिकारी बन्धकीय वस्तु/वाहन को प्राप्त करने हेतु स्थितिवश है।

14.4 ः–यह कि यदि वस्तु/वाहन की ऋणी को बेचता है या अपने अधिकार स्थानान्तरित करता है जबकि ऋणदाता की पूर्ण नही होता है वह ऋणदाता से लिखित में ऋणी द्वारा कोई लिखित आज्ञा भी नही ली जाती है।या

14.5 ः–यह कि ऋणी बीमा की वार्षिक धनराशि समय पर अदा नही करता है वह बीमा कम्पनी को दिया तब अपर्याप्त धन के कारण कानून प्रक्रिया के अनुसार नियम व विषयों के अनुसार स्थिति का व्याखान होता है या

14.6 ः–यह कि जब ऋण द्वारा ली गई वस्तु/वाहन किसी भी सरकारी विभाग या सरकारी कानून का पालन न करने के विरोध में वस्तु/वाहन को जबत कर लिया जाता है या

14.7 ः–यह कि जब ऋणी कोई भी सरकारी कर मद का रूपया जमा करने मे असमर्थ रहता है वह सरकारी संस्था उस वस्तु/वाहन को जब्त कर लेती है और ऋण अनुबन्ध पत्र द्वारा जारी नियमो की अवहेलना होती है या

14.8 ः–यह कि जब बन्दकीय वस्तु/वाहन चोरी हो जाता है या किसी भी कारण से उसे सम्भव नही रहता है जिसका कोई भी कारण हो या

14.9 ः–यह कि वस्तु/वाहन बेकार हो चुकी या खत्म हो चुकी है या इस्तेमाल के उपयुक्त नही रह गई है।जिससे तृतीय पक्ष को शारीरिक चोट दुर्घटना के कारण आ गई हो या

14.10 ः–यह कि कोई भी पहले से दिया गया चैक ऋणी द्वारा ऋणदाता को दिया गया तो वह ऋणदाता द्वारा जब वह भुगतान चाहा गया हो तो ऋणी की वजह से भुगतान का न होना या जिसके किये की कोई और भी वजह रही हो या

14.11 ः–यह कि ऋणी द्वारा ऐसा कोई भी आदेश धनराशि रोकने का उपबन्ध **2.10** के अन्तर्गत या और भी कोई कारण रहा हो या

14.12 ः–यह कि जब ऋणी वस्तु/वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र ऋणी को देने मे असमर्थ रहा हो, कारण के जो भी रहा हो इसमें ऋण अनुबन्ध पत्र मे वाहन हेतु यह प्रक्रिया शामिल है या

14.13 ः–यह कि किसी भी ऐसी दशा मे जिसमे ऋणदाता को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उसका ऋण धनराशि द्वारा दी गई वस्तु/वाहन दोने ही सुरक्षित नहीं हैं कारण जो भी हो या

14.14 ः–यह कि जब ऋणी वस्तु/वाहन की समस्त जानकारी उपलब्ध कराने मे असमर्थ हो जाता है तो ऋणदाता को ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार जरूरी कागज उपलब्ध नही कराता है।(वाहन चाहें पुराना या नया हो)या

14.15 ः–यह कि जब ऋणी ऋण अनुबन्ध पत्र के नियमो व वादो की अनदेखी करता है तो ऋणदाता को गलत व झूठी जानकरी उपलब्ध कराता है।जिनकी जानकारी ऋणदाता के ऋणदाता को हो जाती है।या

14.16 ः–यह कि जब ऋणी को किसी भी संस्था द्वारा दिवालीया घोषित कर दिया जाता है (इस आशय मे कम्पनी करी गई है चाहे जिसे बन्द कर दिया गया हैया दिवालीया घोषित कर दिया है) व यह सारी प्रक्रिया ऋणी के द्वारा हुई है या।

14.17 ः–यह कि अन्य ऐसा कोई भी कारण या परिस्थिति के स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि ऋणदाता के हित को छला गया है।या

14.18 ः–यह कि ऋणी द्वारा ऐसा कोई धोखा अपने जिम्मेदारियो से बचने हेतु ऋण अनुबन्ध पत्र का पालन न करने पर ऋणी व ऋणदाता के बीच का विवाद।

15.0 ः– ऋणदाता के अधिकार।

15.1 ः–यह कि उपरोक्त लिखित समस्त अथवा एक घटना के आधार पर ऋणी, ऋण अनुबन्ध पत्र की अवहेलना करता है।इस स्थिति मे ऋणदाता को यह अधिकार है कि वह ऋण की समस्त धनराशि व जिसमे समस्त ब्याज, बीमा धनराशि व विभिन्न करो की धनराशि सम्मलित है।ऋणी से एक मुस्त लेने का पूर्ण अधिकारी है।ऋणदाता को यह भी अधिकार है कि वह ऋणी से अलग से ब्याज प्रथम सूची के अनुसार लेने का पुर्ण रूप से हकदार है।यहाँ पर ऋणदाता समस्त धनराशि तुरन्त लेने के पुर्ण अधिकारी व ऋणी के नोटिस द्वारा एक समय–सीमा के अर्न्तगत समस्त धनराशि का भुगतान करने हेतु पूर्णतः समर्थ है।

15.2 ः–ऋणी द्वारा ऋण भुगतान के दोष की स्थिति में वस्तु/वाहन ऋणदाता को ऐसे स्थान पर पुनः वापिस करना चाहिए, जहाँ पर ऋणदाता वस्तु/वाहन को प्राप्त करने हेतु तैयार हैं।परन्तु इस वस्तु/वाहन की स्थिति ऋणदाता को प्रदान करते समय उसी प्रकार से होनी चाहिए जैसाा की सुपुदर्ग करते समय ऋणी ने प्राप्त करी थी।यह कि ऋणी किसी प्रकार का विरोध दर्ज नहीं करेगा व न ही कोर्ट अवरोध उत्पन्न करेगा कि उस स्थिति मे जब ऋणदाता वस्तु/वाहन का संरक्षण प्राप्त कर रहा है।इस स्थिति हेतु ऋणी स्वीकारता है व बाध्य रहेगा के निजी प्रतिरोध मुल्जिम या अधिकारी अथवा मध्यरूप को वस्तु/वाहन पुनः संरक्षण देने में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करेगा।इस बाबत ऋणदाता से ऋणी को किसी प्रकार का नोटिस या सूचना प्रदान नही करने को बाध्य होगा।यह कि ऋणदाता, ऋणी के किसी भी स्थान, मकान, गोदम, गैराज जहाँ पर वस्तु/वाहन रखा गया है तो ऋणी किसी भी रूप मे ऋणदाता को वहाँ पर जाने से नही रोकेगा या कोर्ट अवरूद्ध स्थिति उत्पन्न करेगा।ऋणदाता, ऋणी के खर्चे पर वस्तु/वाहन को अपने सुपुर्दगी मेंउचित स्थिति से उठा कर ले जायेगा।

15.3 ः–ऋंण दोष को में उपरोक्त मे से किसी भी स्थिति में ऋणदाता को पूर्ण रूप से एकाधिकार होगा कि ऋणदाता वस्तु/वाहन को पुनः बेच देने/स्थानान्तरित कर देने या सामान्य बिक्री के माध्यम से अथवा स्वयं बिक्री करके ऋणअदाता अपनी ऋण हेतु दी गई धनराशि वसूल करें व यदि वस्तु/वाहन की बिक्री के पश्चात भी समस्त ऋण + ब्याज व अन्य मदों की पूर्ति नही हो पाती है तो ऋणदाता को

सम्पूर्ण अधिकार होगा कि शेष धनराशि की मांग ऋणदाता, ऋणी से लेने/प्राप्त करने के पूर्ण अधिकारी होगें।ऋण अनुबन्ध पत्र की स्वरूप व नियम के अनुसार ऋणदाता को एकाधिकार होगा कि वह ऋणी व प्रत्याभूतिदाता से शेष धनराशि हेतु अग्रिम कार्यवाही ऋण अनुवन्ध पत्र के अनुसार कर सकता है/करेगा।

15.4 ः–ऋणकोष की स्थिति मे ऋणदाता को यह एकाधिकार होगा कि वह ऋण धनराशि को वसूल पाये व ऋणी द्वारा प्रातुत कोई भी विरोध या असहमति किसी भी रूप में मान्य नही होगा व ऋणदाता किसी भी रूप में होने वाली हानि/नुकसान हेतु ऋणी के प्रति उत्तरदायी न होगा।ऋणी द्वारा ऋणकोष की स्थिति में हानि हेतु कोई भी जिम्मेदारी अनुबन्ध पत्र के अनुसार ऋणदाता पर न होगी।

15.5 ः–यह कि उपरोक्त से अग्रिम स्थिति में ऋणदाता को पूर्ण अधिकार है कि वह ऋणी से समान ऋण व उसके खर्चे (जिसमें न्यायिक प्रकिया का खर्च भी सम्मिलित हो) एवं समस्त खर्च जिससे वस्तु/वाहन की जानकारी प्राप्त करना, गाडी की सुपुर्दगी उसके लाने का व विभिन्न खर्चो की सारी जिम्मेदारी ऋणी पर होगी।ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार ऋणी का व प्रत्याभूतिदाता को स्पष्टता बता दिया गया है कि ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार ऋणकोष की स्थिति मे समस्त खर्चो का भार जिससे न्यायिक प्रकिया के खर्चे भी सम्मिलित हो, इन उपरोक्त सब खर्चो की जिम्मेदारी ऋणी व प्रत्याभूतिदाता की होगी।

15.6 ः–ऋण अनुबन्ध पत्र में लिखित सम्स्त नियमों के अलावा ऋणदाता को सम्पूर्ण अधिकार है कि वह ऋणी व प्रत्याभूतिदाता से समस्त बकाया धनराशि प्राप्त करे व यदि वो धनराशि जो वस्तु/वाहन को पुनः बेचने के पश्चात शेष रह जाती है।वह समस्त धनराशि को ऋणी व प्रत्याभूतिदाता से प्राप्त करने का अधिकार ऋणदाता को रहेगा/होगा।

15.7 ः–ऋणदाता द्वारा किसी ऋणकोष की घटना के पश्चात ऋणदोष से मांगी गई जानकारी देने हेतु ऋणी को चाहिए।

15.7.1 ः–तुरन्त व त्वरित रूप मे वस्तु/वाहनकी सुपुर्दगी ऋणदाता की या उसके अधिकृत अधिकारी को अथवा उससे सम्बंधित एजेंट को (जैसा भी स्थिति हो)ः–

15.7.2 ः–यह कि ऋणी तुरन्त हस्तांरित करे, सुपुर्दगी देवे व जरूरी कागजात जो ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार ऋणी को हस्ताक्षरित करने आवश्यक हो, हस्ताक्षरित करके ऋणदाता या उसके प्रतिनिधि को देवे। (जैसा भी स्थिति हो)

15.8 ः–यह कि ऋणदाता उसके प्राधिकृता कर्मचारी या अधिकारी किसी भी रूप मे हो जिम्मेदार नही होगें।एवं ऋणदाता को समस्त अधिकारी व नामित सदस्यों को यह पूर्ण अधिकार होगा कि उपरोक्त घटित हानि, नुकसान व वस्तु/वाहन की कम कीमत को ऋणी से वसुल किया जायेगा।

15.9 ः–यह कि किसी भी रूप मे न तो ऋणदाता या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी या नामित सदस्य किसी भी रूप मे ऋणी को होने वाले नुकसान हेतु उत्तरसयित्व नही होगें।तथा ऋणदाता के समस्त अधिकारी व एजेंट ऋण वस्तु/वाहन को अपने अधिकार मे लेने के पश्चात भी समस्त खर्चे की भरपाई ऋणी से करने के पूर्ण अधिकारी होगें।

16.0 ः– गारंटी।

यदि ऋणदाता, ऋणी से अपेक्षा है कि वह पुर्व में पास कि लोन हेतु तृतीय पक्ष की अतिरिक्त गांरटी प्रस्तुत करें तो ऋणी इस आशय हेतु बाध्य है।

17.0 ः– अवधि पूर्व भुगतान।

यदि किसी या किन्ही कारणों से ऋणदाता, ऋणी से भुगतान की अवधि से पहले ही सम्पूर्ण ऋण धनराशि के भुागतान की अपेक्षा रखता है तो ऋणी बाध्य है कि वह समस्त ऋण का भुगतान पुर्द्या में ही करें व ऋण खाते को बन्द कर देवे/यह पूर्व भुगतान चैक ऋणदाता के खाते मे आ जावे।

18.0 ः– यह कि ऋणी व ऋणदाता पूर्णतः इस बात से सहमत व आश्वस्त हो जाते हैं व मानते है कि ऋणदाता को सम्पूर्ण एकाधिकार है कि वह वस्तु/वाहन बेच सकते हैं, किसी भी रूप में या स्थांरित कर सकते है जो एक रूप में यह कई हिस्सों मे भी किया जा सकता है।इस पर ऋणी को कोई आपत्ति न होगी व यहाँ पर ऋणदाता का सम्पूर्ण व कानूनी अधिकार होगा कि वह ऋणी व प्रत्याभूतिदाता के विरूद्ध ऋण ली गई धनराशि हेतु कोई भी ऐसी व्यवहारिक प्रकिया अपनाए कि जिससे ऋणदाता अपनी सम्पूर्ण धनराशि प्राप्त कर सकें।यहाँ पर ऋणदाता को यहा भी अधिकार है कि वह ऋणी व प्रत्याभूतिदाता को ऋण धनराशि हेतु बिना कोई पूर्व सूचना के ऋणदोष की उपरोक्त स्थिति में वस्तु/वाहन की बिक्री पश्चात बचे शेष राशि का भुगतान तृतीय पक्ष को करेगे।यहाँ पर तृतीय पक्ष को पूर्ण अधिकार होगा कि वह शेष राशि किसी भी रूप में ऋणी से प्राप्त करें।

19.0 :- ऋणदाता द्वारा व्यक्ति का अधिकार।

ऋणी स्पष्ट सहमति देता है कि ऋणदाता, ऋणदोष की स्थिति में बिना किसी सूचना या आज्ञा के किसी नामित व्यक्ति संस्था को यह अधिकार दे सकता है कि वह एक या एक से अधिक के रूप में नामित व्यक्ति या संस्था द्वारा ऋण की वसूली प्राप्त करें व इस समस्त किया गया खर्चा स्पष्ट रूप से ऋणी द्वारा अदा करा जाएगा।यहाँ पर नामित व्यक्तियो के संस्था की पुर्ण अधिकार होगा कि वह मासिक किस्तें वसूल पाने या ब्याज या अन्य मद की धनराशि जैसा कि ऋण अनुबन्ध पत्र में अंकित होते हैं को ऋणी से वसूल पावे।ऐसे व्यक्ति या संस्था को ऋणी के घर अथवा ऑफिस या अन्य किसी स्थान पर जहाँ ऋणी उपलब्ध मिले, जाकर धनराशि एकत्रित करने का पूर्ण अधिकार है।

20.0 :- Set off & Lien

20.1 :- ऋण अनुबन्ध पत्र मे लिखित सभी बातो के समर्थन में ऋणदाता को यहा पूर्ण अधिकार होगा कि वह वस्तु/वाहन का कानून अधिकारी होगा। एवं ऋण अवधि तक ऋणी वह प्रत्याभूतिदाता की समस्त जिम्मेदारी ऋणदाता की तरफ होगी।एवं जो भी उसकी देनदारी ऋण/ प्रत्याभूतिदाता पर संयुक्त रूप से होगी, एवं ऋण की शापष धनराशि को प्राप्त करने का एकाधिकार सिर्फ ऋणदाता को होगा।

20.2 :- यहां पर ऋणी द्वारा पूर्ण रूप़ से समझ लिया गया है व सहमति प्रदान कर दी गई है कि समयानुसार ऋण की देनदारी न देने की स्थिति मे जिसमें माकिस किस्त/व्यव/एवं शेष राशि को ऋणी से लेने अथवा उसमे कुछ या समस्त संशोधन करने का एकाधिकार सिर्फ ऋणदाता का ही होगा/ऋण अबुबन्ध पत्र के अनुसार सिर्फ ऋणदाता का सम्पूर्ण धनराशि/ब्याज/अन्य व्यय प्राप्त करने का एकाधिकार ऋणी/ प्रत्याभूतिदाता से सिर्फ ऋणदाता अथवा ऋणदाता द्वारा नियुक्त व्यक्ति को होगा।

21.0 :- नोटिस (सूचना-पत्र)

21.1 :-एक प्रमाण पत्र लिखित रूप मे जिसे संयूक्त रूप से ऋणदाता या ऋणदाता द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि व ऋणी एवं प्रत्याभूतिदाता के मध्य इस आशय से हस्ताक्षरित किया जायेगा कि ऋणी, ऋण अनुबन्ध पत्र के नियमानुसार समय पर भुगतान करता रहेगा।एवां लिखित प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित होकर साक्ष्य के रूप में ऋणी, प्रत्याभूतिदाता के मध्य रहेगा।

21.2 ः– ऋणी अथवा प्रत्याभूतिदाता द्वारा भविष्य मे उनके पते मे होने वाले परिवर्तन हेतु समस्त जानकारी एक सप्ताह के अन्दर पत्र/नोटिस या किसी अन्य लिखित प्रमाण पत्र के जरिये ऋणदाता को उपलब्ध कराया जायेगा/एवं ऋणदाता ने स्थानान्तरित पते के अपने रिकार्ड मे दुरूस्त कर लिया है, इस आशय से जानकारी लेने की समस्त जिम्मेदारी ऋणी व प्रत्याभूतिदाता की होगी, कि वो इस बात को सुनिश्चित अगले **48** घंटे मे करें, कि उनके द्वारा प्रस्तुत नया पता, ऋणदाता के द्वारा उचित स्तर पर संशोधित कर लिताा गया है।

21.3 ः–समस्त–पत्र व्यवहार में ऋणी व प्रत्याभूतिदाता की यह अनिवार्यता होगी, कि वह अपना सम्पर्क हेतु नम्बर अंकित करे।

21.4 ः– यह कि समस्त पत्र व्यवहार से ऋणदाता का वही पता अंकित करेगें, जिसे ऋण लेते समय प्रमुख रूप से ऋण अनुबन्ध पत्र में प्रमुख रूप से दर्शाति या दर्शाया गया है।

23.0 ः– कानून, क्षेत्राधिकार एवं मध्यस्थता।

(क) समस्त विवाद एवां मन–मुटाव की स्थिति मे जो कि ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार निर्यात मे आयेगे।उन्हें मध्यस्थता के कानून के अनुसार व उसके प्रावधानो के अनुसार "मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम समस्या निवारण अधिनियम **1996**" और ऐसा कोई संशोधन जो इस एक्ट मे बाद मे आया हो, के अनुसार ऋणदाता व ऋणी के बीच विवाद की स्थिति में अपनाया जायेगा, एवं मध्यस्थ द्वारा दिया गया फैसला पूर्ण रूप से ऋणी, प्रत्याभूतिदाता व ऋणदाता पर बाध्य होगा।

(ख) विवाद जिसके लिए मध्यस्थ को चयानित किया जायेगा, ऐसा ऋणी द्वारा ऋण अनुबन्ध पत्र के नियम– **14** का अनुसरण न करने के कारण होगा।

इस ऋण अनुबन्ध पत्र की नियमानुसार जो भी मध्यस्थ नियुक्त करा जायेगा, यदि उस समयाकाल में मध्यस्थ की किसी आंशिक अनुपस्थिति या मृत्यु की स्थिति में मध्यस्थता कानून के अनुसार एक दूसरे मध्यस्थ को नियुक्त करा जायेगा।यह पुनः निस्पक्ष मध्यस्थत वही से कार्यवाही को आगे बढायेगा, जहाँ पर पूर्व मध्यस्थ ने मध्यस्थता की कार्यवाही को छोडा था।

(ग) यह कि मध्यस्थता की समस्त कार्यवाही चेन्नई मे होगी, एवं मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

(घ) यह कि जो भी मध्यस्थ नियुक्त किया जायेगा, उसे यह एकाधिकार होगा कि वह आदेश ऋण ली हुई वस्तु/वाहन पर कर सकता है।एवं अन्य कोई सिक्योरिटी जो ऋणी या प्रत्याभूतिदाता ने ऋण अनुबन्ध पत्र मे बताई हो, उस पर भी मध्यस्थ नियमानुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ड) समस्त नोटिस एवं पत्र व्यवहार ऋणी, प्रत्याभूतिदाता एवं ऋणदाता के मध्य निम्नलिखित पते पर ही किया जायेगा।

ऋणदाता हेतु :- हिन्दुजा लिलैन्ड फाईनेन्स नं.-1 सरदार पटेल रोड, गुन्डी, चेन्नई- 600032, तमिलनाडू भारत।

ऋणी हेतु :- जो भी आवासीय पता ऋणी द्वारा अनुबन्ध पत्र के शैडयूल मे दर्शाया गया है।उसी पते पर ऋणी से पत्र आवेदन भरा जायेगा।

24.0 :- सम्पूर्ण अनुबन्ध।

यह अनुबन्ध (प्रथम एवं द्वितीय शेडयूल) समस्त कागजातो सहित जो कि ऋणी द्वारा ऋणदाता के पक्ष मे अनुबन्ध के अनुरूप जारी करें गये हों।वह अभी उस ऋण अनुबन्ध पत्र का हिस्सा होगें।

25.0 :- ऋणी द्वारा जारी (प्रस्तुत) घोषणाएं।

यह कि ऋणी एवं प्रत्याभूतिदाता इस बात से पूर्णतः सहमत है कि उनके द्वारा दी गई ऋण अनुबन्ध पत्र की समस्त जानकारी इस ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार किसी भी सम्बंधित व्यक्ति को जिसे ऋणदाता उचित समझें या ऋण व्यूरो को जिसे ऋण की समस्त जानकारी देना आवश्यक हो, इस बात ऋणी/ प्रत्याभूतिदाता कोई भी सवाल उत्पन्न नही करेगा व अपनी सहमति उपरोक्त आशय हेतु प्रास्तुत करते हैं।

26.0 :- अवधि एवं अवधि का समापन।

यह कि अनुबन्ध पत्र उसी दिन से क्रियान्वित हो जाता है।जब से ऋणी, प्रत्याभूतिदाता उसे हस्ताक्षरित कर देते है एवं सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान करने के बाद ही जिसमे ब्याज व अन्य मद सम्मिलित है को अदा करने के बाद ही ऋण अनुबन्ध पत्र की समाप्ति होती है/ होनी चाहिए।

27.0 :- अन्य शर्तो

27.1 :- भाषा।

यह कि ऋण अनुबन्ध पत्र मे व उसके बाद समस्त पत्र व्यवहार में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करा जायेगा।

27.2 ः– संशोधन।

यह कि ऋण अनुबन्ध पत्र मे कोई भी संशोधन ऋण अनुबन्ध पत्र की भावना के विरूद्ध न होगा, व सिर्फ परिस्थितिवंश ब्याज की दर मे परिवर्तन हेतु जो कि नियम दो(2.3)एवं मासिक किस्तों के भुगतान के सम्बन्ध में कोई आवश्यक परिवर्तन नियम दो (2.11) के अनुसार करा जा सकता है।एवं यह उपरोक्त शर्तो श्रेणी व ऋणदाता के मध्य में पूर्व में ही स्वीकार करी जाती है।

27.3 ः– संयुक्त अधिकार।

समस्त व्यवस्था/व्यवस्थान, ऋण अनुबन्ध पत्र में कानून के अनुसार सिविल कानून, जनरल कानून, कस्टम, व्यापार व ट्रेड (वाणिज्य)कानून से सम्बंधित नियमानुसार, अनुबन्ध पत्र मे लाये/प्रविष्ट करे गए है।

27.4 ः– ऋण अनुबन्ध पत्र का महत्व (फायदा)।

यह कि ऋण अनुबन्ध पत्र प्रभ्आरी रहेगा व इस बात का परिनायक होगा कि समस्त पक्ष उपरोक्त इस अनुबन्ध पत्र के बाध्य होगें, सम्बंधित पत्रों के समस्त उत्तराधिकारी व विभिन्न पत्र भी अनुबन्ध पत्र मे सम्मिलित हेगें।

27.5 ः–

यह कि किसी भी प्रकार की देरी की स्थिति पक्षों के अधिकार सुरक्षित रहेगें व इस अनुबन्ध पत्र के अनुसार कोई भी समझौता या अनुबन्ध पूर्ण रूप में क्रियाशील रहेगा व ऋण अवहेलना जी स्थिति मे ऋणदाता को समस्त अधिकार व मौके उपलब्ध होगे कि ऋणदाता अपनी ऋण राशि हेतु अपने अधिकारों का इस्तेमाल अनुबन्ध पत्र के अनुसार पूर्ण रूप से करके प्रभावी व स्वतंत्र रहेगा।

27.6 ः–

यह कि इस अनुबन्ध पत्र ऋणी व प्रत्याभूतिदाता की जिम्मेदारी प्रथक रूप से वह संयुक्त रूप से अलग–अलग होगी।

28.0 ः– स्वकृति। यह कि ऋणी व प्रत्याभूतिदाता अपने स्वेच्छिक मत व अधिकार से निम्नलिखित कथनों हेतु अपनी स्वकृति प्रदान करते हैं।

28.1 ः–यह कि ऋणी व प्रत्याभूतिदाता ने सम्पूर्ण अनुबन्ध पत्र व उसके नियम निश्चित रूप से पढ व समझ लिये हैं।जिन्हें उनकी उपस्थिति मे ही प्रस्तुत किया गया है।व ऋणी व प्रत्याभूतिदाता समस्त परिस्थितियों ऋण अनुबन्ध पत्र से बाधक रहेगें।जिसमे वस्तु/वाहन की जिम्मेदारी भी सम्मिलित है।

28.2 ः– यह कि निश्चितता के लिए अनुबन्ध पत्र के समस्त नियम व भाषा सभी पक्षो के निश्चित रूप सप पढ व समझ ली है व कोई भी कथन या नियम अस्पष्ट नही रहा गया है।

28.3 ः–यह कि समस्तो पक्षो मे यह बात को पूर्ण रूप से समझ लिया है कि ऋण अनुबन्ध पत्र ऋणदाता, ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित होने के पश्चात अब समस्त पक्ष कानूनी रूप से ऋण अनुबन्ध पत्र नियम शर्तो हेतु कानूनी रूप से बाध्य है।

उधारकर्ता **ऋणग्रहीता** **प्रत्याभूतिदाता**

प्रथम अनुसूची

सं॰	पद	विवरण
A	**अनुबन्ध विस्तृत विवरण**	
1	अनुबन्ध की दिनाँक	
2	अनुबन्ध संख्या–	
B	**आस्ति का विवरण**	
1	उपकरणों सहित आस्ति का वर्णन	
2	गहन	
3	मंडल	
4	इंजिन संख्या–	
5	चैचिस सम्ख्या–	
6	पंजीकरण संख्या–	
7	उददेश्य जिसके लिये ऋण का उपयोग किया जायेगा।	
C	**वित्तीय विवरण**	
1	आस्ति की मूल्य	
2	ऋणराशि	
3	ब्याज दर	
4	अन्तर धनराशि (यदि कोई)	
5	समयावधि	
6	ब्याज दर	
7	किश्तों की कुल संख्या–	
8	ई॰एम॰आई॰ का मूल्य	
9	अग्रिम ई॰एम॰आई॰ की संख्या (यदि कोई)	
10	जमा प्रतिभूति (यदि कोई)	
11	प्रतिभूति जमा (%) पर ब्याज दर	

12	प्रथम वर्ष बीमा	
13	द्वितीय वर्ष बीमा	
14	तृतीय वर्ष बीमा	
15	चतुर्थ वर्ष बीमा	
16	बाहय चैक प्रभार (यदि कोई)	
17	प्रयुक्त वाहन की स्थिति में	
क	बीमा वैधता	
ख	परमिट वैधता	
ग	आर•टी•ए• कर वैधता	
D	**अन्य प्रभार**	
1	चैक अनादरण प्रभार	
क	प्रथम प्रस्तुति	
ख	द्वितीय प्रस्तुति	
ग	अबादित चैको से ग्रहण प्रभार	
2	प्रक्रिया प्रभार को सम्मलित करते हुए अन्य प्रभार	
3	संविदा के अतिरिक्त समाप्ति के लिए भुगतान योग्य प्रीमियम की दर	
4	अतिरिक्त ब्याज की दर, जैसा क्लाज **2.9** (C), **15** सब क्लाज सं•**15.1** के अन्तर्गत उपबंधित	

उधारकर्ता **ऋणग्रहीता** **प्रत्याभूतिदाता**

द्वितीय अनुसूची

किश्त सं॰	चैक सं॰	यथा दिनाँक	बकाया राशि	किश्त सं॰	चैक सं॰	यथा दिनाँक	बकाया राशि
1				31			
2				32			
3				33			
4				34			
5				35			
6				36			
7				37			
8				38			
9				39			
10				40			
11				41			
12				42			
13				43			
14				44			
15				45			
16				46			
17				47			
18				48			
19				49			
20				50			
21				51			
22				52			
23				53			
24				54			
25				55			
26				56			
27				57			
28				58			
29				59			
30				60			

इसमे उपबद्ध पक्षकार उपस्थित हुए इसमें लिखित दिन, माह एवं वर्ष को इस विलेख को अपने-अपने हाथों से हस्ताक्षारित किया।

दिनाँकः-

उधारकर्ता **ऋणग्रहीता** **प्रत्याभूतिदाता**

प्रतिसंहरणीय मुखतारनामा

हिन्दूजा लीलैण्ड फाइनेन्स लि॰ के लिए एवं के पक्ष मेंः-

मैं/हम _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____ निवासी- _____

(अत्रपश्चात् उधार ग्रहीता कहा जायेगा जिसका अभिप्राय उसके वारिसगण निष्पादकगण प्रशासकगण हितबद्ध, प्रतिनिधि, अभिहस्तांकिती एवं उत्तराधिकारीगण सम्मलित करेगा)

या

_____ कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक कंपनी जिसका अपना पंजीकृत कार्यालय _____ में है। (अत्रपश्चात उधारग्रहीता कहा जायेगा जिसका अर्थ उसके उत्तराधिकारीगण एवं उत्तराधिकारीगण सम्मिलित करेगा)

या

मैसर्स _____ एक साझीदार फर्म जिसका अपना व्यवसाय का प्रधान स्थान _____ में है एवं श्री/श्रीमती _____ द्वारा एवं के मध्य स्थापित (अत्रपश्चात उधारग्रहीता कहा जायेगा जिसका अभिप्राय फर्म के समय विर्दिर्निष्ट साझीदार एवं उनके उत्तरजीवी या सम्मिलित करेगा)

चूंकि हिन्दूजा लीलैण्ड फाइनेन्स लिमिटेड कंपनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत एक कंपनी ने जो भारत में व्यवसाय कर रही है। (अत्रपश्चात एच.एल.एफ. कहा जायेगा) हमारे एवं एच.एल.एफ. के मध्य निष्पादित/निष्पादित किये जाने वाले ऋण अनुबन्ध में सम्मिलित शर्तो के अधीन एतद्वधीन अनुसूची _____ (अत्रपश्चात आस्ते कहा जायेगा) में वर्णित आस्ते के क्रय के लिये ऋण के जरिये मुझे/हमें धनराशि रू॰ _____ (रूपये _____ मात्र) स्वीकृत किये है।एवं चूंकि मैने ऋण, ब्याज एवं सभी प्रतिभार जो ऋण अनुबन्ध के अन्तर्गत एच.एल.एफ. को मेरे/हमारे द्वारा भुगतान योग्य होगा, का मेरे/हमारे वापिसी सुनिश्चित करने के लिये प्रति के द्वारा एच.एल.रफ. के पक्ष में आस्ति को दृष्टिबंधक करने एवं उस पर ऋणभार सर्णित करने के लिये सहमत है एवं चूंकि

एवं यहां पर मै/हम इस बात मे पूर्णतः सहमत है कि वस्तु/वाहन को ऋणदाता द्वारा ऋण के माध्यम से प्रत्याभूतिदाता की उपस्थिति एवं प्रदान करी गई सिक्योरिटी के अनुसार व सैद्धान्तिक रूप से पुनः तय शुदा नियमानुसार धनराशि को ब्याज व अन्य मदों के साथ हमें/मुझे अदा करी जायेगी।जो कि इस अनुबण्ध पत्र का सम्पूर्ण एवं अत्यधिक महत्वपूर्ण कथन है।

यह कि मै/हम इस बात से सहतम है कि हम ऋणदाता को इस बात का पुर्ण अधिकार देते है कि वह ऋणराशि को ऋणी व प्रत्याभूतिदाता से ब्याज व अन्य मदों सहित सहमत कार्यवाही करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है।व यह सारे अधिकार/कार्य ऋणी के आधार पर करें जायेगे।

अब यह सभी की जानकारी/सज्ञांन मे हो कि जो सभी पक्ष यहां पर मौजूद है, वो मै/हम इस बात को पूर्णतः स्पष्ट करते हुए व प्रस्तुत करते हैं कि हम पूर्ण रूप से से कानून अनुसार हस्ताक्षरित करके अपने खर्चे व हर्जे पर यह अनुबन्ध पत्र निम्नलिखित तथ्यों हेतु प्रस्तुत करते हैं/कहते हैं।

1. यह कि हम वस्तु/वाहन का स्वयं निरीक्षण करेगें, या निरीक्षण हेतु किसी वकील, सी.ए. या प्रमाणित वाणिज्यकर्ता को निरीक्षण हेतु मेरे या हमारे आयकर प्रतिलिपि/आयकर की अग्रिम कार्य वाही या अपील हेतु जिसका सम्बन्ध पिछली या हाजिर साल के निस्तारण से सम्बंधित हो, इस आशय से जॉच करवायेगें ताकि ऋण प्राप्ति हेतु हम/मै अपना पूर्व पक्ष प्रस्तुत कर सकें।
2. यह कि हम अपने कर्मचारी या प्रतिनिधि या जिस व्यक्ति को आवश्यक समझे, सम्बंधित जानकारी लेने हेतु प्रस्तुत रहेगें।
3. यह कि प्रान्तीय वस्तु/वाहन के कार्यलय में स्वयं उपस्थित रहेगें जिससे कि प्रमाणित प्रार्थना-पत्र या वस्तु/वाहन का स्थानान्तरण या सैल्स टैक्स विभाग या किसी अन्य समक्षक कार्यालय में अपने वकील या अन्य किसी सम्बंधित व्यक्ति को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करेगें।
4. यह कि ऋण बाध्यता की स्थिति में ऋणात्मक वस्तु को ऋण अनुबन्ध पत्र के अनुसार पुनः अपने सरंक्षण मे लेने हेतु हमारे द्वारा प्रयोजित व्यक्ति कोई भी ऐसे कदम उठायेगा, जो कि उस स्थिति के अनुसार जरूरी व कारगर हैं।
5. हस्ताक्षरित करने के लिए, बेचने के लिए या वस्तु/वाहन को पुनः किसी के साथ सम्बन्ध करने के लिए व इस बाबत जिन प्रपत्रों व जरूरी फार्मो की कारूरत होगी।जिससे कि हस्तान्तरण को या बेचने को सम्पुर्ण सही दस्तावेज उपलब्ध हो जाये।
6. यह कि वस्तु/वाहन को प्राप्तकर्ता को करने हेतु सम्पूर्ण कागजात जो भी इस स्थिति में जरूरी है।
7. यह कि मै/हम प्राप्त करें, व पुनः आगे बढे ताकि वस्तु/वाहन को बेचा जा सके।या हस्तान्तरित किया जा सके या किसी दूसरे को प्राप्त कराया जा सके।जिससे उचित प्रपत्र व कागजात उपलब्ध कराये जा सकें, जो कि सम्पूर्ण रूप से सही व नियमानुसार हो।
8. यह कि बात को निर्धारण हेतु किसी पक्ष को या दलाल को नियुक्त करा जाये, जोकि हस्तान्तरण, बेचने मे या पुनः किसी अन्य को सुपुर्द करने मे सक्षम व सहायक हो।
9. यह कि सम्बांधित संस्था को इस आशय से जानकारी दी जाये कि वस्तु/वाहन के बेच के पश्चात समस्त कानूनी कार्यवाही पूरी हो सकें।
10. यह कि डिलीवरी या वस्तु/वाहन के कब्जे हेतु ऋणदाता जो भी उचित हो/समझे कानूनी रूप से कार्यवाही करें।

11. यह कि वस्तु/वाहन के निर्माता से वाहन की अग्रिम बुकिंग कैंसिल करा देवे।व डीलर से जो भी धनराशि से प्राप्त हुई है, ऋणदाता को यह अधिकार है कि वह ऋण धनराशि के समयानुसार न मिलने पर समुचित उचित व कानूनी कार्यवाही करें।
12. यह कि ऋणदाता यदि कोई हो तो क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेने का पूर्ण अधिकार है।व प्राप्त की हई धनराशि की उचित रसीद प्रदान करें।
13. एवं साधारण रूप से वो सारे कार्य करें व समस्त कार्यवाही उस सम्बन्ध से करें, जैसा कि ऋणदाता को सही व नियमानुसार उचित लगे एवं समस्त कार्यवाही ऐसे करे, जैसे कि मैं/हमने व्यक्तिगत रूप से समस्त कार्यवाही/परिस्थिति को अंजाम दिया है।

यह एकाधिकार सम्बंधित पक्षों पर एवां उनके कानूनी वारिसों पर लोन की सम्पूर्ण धनराशि या समयकाल पुर्ण होने तक पूर्ण रूप से लागू/क्रियान्वित रहेगा।

शेडयूल

साक्ष्य जहाँ पर मै/हम पूर्ण रूप मे हम/हमारे द्वारा अपने हाथों से .....
दिनाँक जोकि अंकित करती हो।
हस्तान्तरित एवं प्राप्तकर्ता/प्राप्तकर्तीं जिनके नाम सम्मिलित है।
मि./मै/मैसर्स/मि. _____
मि./मै/मैसर्स/मि. _____
यह _____ दिन _____ का सन् 20_____
इनकी उपस्थिति _____

प्रत्याभूतिदाता

नाम – _____

पता – _____

_____

मेरे समक्ष

(नोटरी, सील, स्टैम्प)

मांग वचन पत्र

सेवा में,

हिन्दूज लैलेण्ड फाईनेन्स लिमिटेड

कारपोरेट कार्यालय नं॰ 27 ए, डवलप्ड ईन्डस्ट्रीयल एस्टेट ,

गिन्डी, चैन्नई-600032

मांगने पर, मै/हम संयुक्त प्रथक रूप से बिना शर्त मैसर्स हिन्दूजा लीलैण्ड फाइनेन्स लिमिटेड नं॰-1, सण्दार पटेल रोड गुन्डई चैन्नई- 600032 को धनराशि _____

(रूपये _____) उस पर _____% प्रतिवर्ष ब्याज सहित या जो हिन्दूजा लीलैण्ड फाइनेन्स समय-समय पर मासिक अन्तराल पर प्राप्त भुगतान करने का वचन मूल्य से या आदेश करता हूँ/करते है एवं मै/हम बिना शर्त एवं अविखण्डनीय रूप से भुगतान के लिये प्रस्तुति एवं अधिसूचित करते हुए इस वचन पत्र का प्रतिवाद का अधित्याग करता हूँ/करते हैं।

रू॰ _____

उधार ग्रहीता(ओं) एवं प्रतिभू(गण) के हस्ताक्षर